ing to them, if by paying that, they can close the factory Sir, when you give the option to a trying judges, in our acquisitive society, the subjective predilection of the judge will be almost inevitably in favour of the employer and not of the employee So, you are frustrating your own purpose which is to stop these closures

Sir, these are the lacunae in the Bill which will frustrate the very noble purpose the Government have in mind

SHRI DINEN BHATTACHARYA Sir, for the last one year, the same Bill that was passed by the West Bengal Consultative Committee during President's rule is who working I request the minister to actually review what is taking place in West Bengal In the case of reopening of the factories, it is found that the privileges and facilities that the workers were enjoying before closure have been taken away, even is cases where Government itself is taking over the management of the firms So, I will urge upon the minister to review it personally and not be guided by the loud speeches of the Ministers there or here

SHRI R K KHADILKAR The hon member knows that in West Bengal, a certain climate which was most unhealthy for normal running of industries was created Almost the industrial life was paralysed Since the new regime has taken over—I can give facts and figures—the revival of industries is taking place I am sure this Bill will help to reopen the closed undertakings

MR SPEAKER The question is

"That the Bill, as amendment be passed "

The motion was adopted

12 50 hrs.

CANTONMENT (EXTENSION OF RENT CONTROL LAWS) AMENDMENT BILL

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI JAGJIVAN RAM) Sir, I beg to move* .

"That the Bill to amend the Cantonments (Extension of Rent Control Laws) Act, 1957, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration "

राज्य सभा ने इस बिल को पास कर दिया है। यह इतना सीधा सादा बिल है कि इस पर बहुत ज्यादा बहस की जरूरत नही है। संविधान के अनुसार छावनियो मे मकानो के किराये और मकान-मालिको और किरायेदारो के सम्बन्ध नियन्त्रित करने के लिए कानून केवल पार्लियामेंट ही बना सकती है। लेकिन सविधान के लागू होने से पहले वहा प्रदेशो के कानून लागू हुआ करते थे। सविधान के लागू होने के बाद पार्लियामेंट ने यह कानून पास कर दिया कि अगर सरकार चाहे, तो वह उन कानूनो को छावनियो मे लागू कर दे। वैसा ही किया गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले मे कहा कि यह अधिकार सिर्फ पार्लियामेंट को ही है और पहले के जो कानून थे, उनको लागू करने के लिए खास तौर से कहा गया। वह भी कर दिया गया है। वे भविष्य के लिए लागू किये गये है। लेकिन कुछ ऐसे सवाल पैदा हुए कि उसके पहले जो बहुत से मामले कचहरियो मे थे, या जिनके फैसले हो चुके थे अगर उनको सुरक्षा न दी गई, तो बहुत से किरायेदारो को बहुत परेशानी उठानी पडेगी। इसलिए ऐसा इन्तजाम करना पड रहा है कि जब से 1950 से सविधान अमल मे आया, तब से इस कानून को लगा हुआ समझा जाये, जिससे सभी छावनियो मे किरायो और मकान-मालिको तथा किरायेदारो के सम्बन्ध नियन्त्रित किये जा सकें।

इस बिल पर बहुत ज्यादा बहस की गुंजाइश नही है। मुझे आशा है कि सदन इसको स्वीकार करेगा, ताकि किरायेदारो को राहत मिल सके।

MR SPEAKER Motion moved

"That the Bill to amend the Cantonments (Extension of Rent Control Laws) Act, 1957, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration "

*Moved with the recommendation of the President

SHRI SOMNATH CHATTERJEE (Burdwan) : Mr. Speaker, this is no doubt an innocuous Bill which has become necessary because of the judgment of the Supreme Court delivered in 1970. It was decided by the Supreme Court that, so far as regulation of housing accommodation is concerned, including rent control legislation, the State Government could not by notification extend the State laws to the cantonment areas. One thing which immediately arises is why private accommodation, or private houses, have not been kept out of the cantonment areas. This is a matter which I would request the Minister to take note of and give some consideration why any special privileges or facilities will have to be given to private houses within the cantonment areas.

Secondly, so far as the drafting of the Bill is concerned, I am very sorry to say that it is so cumbersome that at least so far as sub-clause (3) on page 2 is concerned, it is very difficult to get at the real meaning. Here I may make one suggestion, because I did not get enough time to give notice of an amendment in time. The Minister will kindly consider whether there may be some situation where this law cannot be worked out properly, as it is intended to be done. If you kindly look at sub-clause (3) on page 2, it says :

> "Where any enactment in force in any State relating to the control of rent and regulation of house accommodation is extended to a contonment from a date earlier than the date on which such extension is made (hereafter referred to as the 'earlier date'), such enactment, as in force on such earlier date, shall apply to such cantonment"

So far this is quite intelligible; then it says-

> "and where any such enactment has been amended at any time after the earlier date but before the commencement of the Cantonments (Extension of Rent Control Laws) Amendment Act, 1972, such enactment, as amended, shall apply to the cantonment on and from the date on which the enactment by which such cantonment was made came into force."

Another contingency could arise. Quite apart from amending an Act, an Act could have been repealed and re-enacted. The situation which has been contemplated here is that after the notification is issued and the extension is made effective, there may have been an earlier Act which would be treated to be an earlier Act, in force. Then, till the date of the extension of the notification that Act might have been amended and, therefore, the amended Act might apply. One can understand that intention. But if you look at sub-clause (3), it refers to amendment of existing legislation. But suppose an earlier legislation was repealed and re-enacted; then that will not come within the scope of this clause Take the West Bengal Act. It repealed the earlier Act of 1950 and re-enacted a new legislation. So, it is not an amending legislation but an entirely new legislation. That contingency has not been thought of here in sub-clause (3) page 2.

On principle we accept this Bill It has become necessary because of the Supreme Court judgment and necessary action has to be taken. We do not want that decisions taken for all these years should be upset because of this decision of the court because that will create chaos.

So, I want the hon Minister to give some consideration to sub-clause (3), whether the object of the intended legislation can be achieved by the language that has been used here and why private dwelling houses have been kept out of this. With these words, I support the Bill.

13. hrs.

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा है कि सुप्रीमकोर्ट के जजमेंट के बाद यह जरूरत महसूस हुई कि केन्द्र की तरफ से कोई विधेयक आए। विधेयक हमारे सामने है और मैं समझता हूं कि इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसका विरोध हम लोग करें। क्योंकि मालिक मकान खास कर छावनियों में बहुत काफी एक्सप्लायटेशन करते है। हमने तो हर जगह देखा है, मैंने अपनी जिन्दगी की शुरुआत ही छावनी से

की थी अम्बाला कैंट से, सभी जगह काफी एक्सप्लायटेसन लोग करते है, और कोई कानून न होने से क्योंकि रैंट कंट्रोल ऐक्ट वहा लागू नहीं होता, और कोई सेंट्रल लेजिस्लेशन है नहीं तो उसका फायदा लोग उठाते हैं। तो यह कानून तो होना ही चाहिए। लेकिन जिस तरीके मे हमारे मोअजिज दोस्त सोमनाथ चेटर्जी ने कहा अगर माननीय मत्री जी इसको पढे पृष्ठ 2 पर सेक्सन 3 को तो यह एक सेटेंस मे जितना लिखा गया है, मैं समझता हूँ कि आज अच्छा है कि जे०सी० नेसफील्ड नही रहे वरना उनको इस ग्रामर को देखकर तकलीफ हो जाती। तो एक चीज तो यह होनी चाहिए कि जिस तरीके से ला बनाया जा रहा है, जो सेटेंस यहा रखा गया है इतना कम्प्रहेन्सिव है कि उसकी बाल की खाल निकाल कर हो सकता है और कोई वकील या मकान मालिक दोबारा इसको सुप्रीमकोर्ट मे ले जाय, तो यह न हो सके उसके लिए मैं बाबू जगजीवनराम जी से निवेदन करूंगा कि वह दोबारा इस पर सोच लें। यह तो ठीक है कि हम बिल पास कर देंगे। हाईकोर्ट और सुप्रीमकोर्ट अपना काम करते है। हम अपना कम कर रहे हैं। लेकिन पुराने जमाने मे जितने विधेयक बनते थे कभी उनका खण्डन हुआ नहीं। तो मैं आशा करता हूँ कि हम जो यहा पास करे वह इतना सोच समझकर पास करें कि कोई ऐसी गुंजाइश उसमे न रह जाय कि जिस ना नाजायज फायदा दूसरे लोग उठा सकें।

दूसरे, अध्यक्ष महोदय, इस बिल का सहारा लेकर मैं कुछ चीजे बाबू जगजीवनराम जी से निवेदन करना चाहता हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि कैन्टोनमेंट के बारे मे उन्होंने सोचना शुरू किया है। यहीं इस सदन मे हमारे दोस्त भक्त दर्शन जी एक नान-आफिशियल बिल लाये थे 1956 में या 1959 में। उस वक्त सरदार सुरजीत सिंह मजीठिया साहब जो डिप्टी मिनिस्टर आफ डिफेंस थे, उन्होंने आश्वासन दिया था कि एक काम्प्रीहैंसिव लेजिस्लेशन कैन्टोमेंट ऐक्ट को बदलने के लिए लाया जाएगा। क्योंकि कैन्टोनमेंट ऐक्ट अंग्रेजो के जमाने का बना हुआ है और कैंटोनमेंट की हिस्ट्री क्या है? अध्यक्ष महोदय आपको मालूम है कि उस वक्त जबकि गोरे हमारे देश मे रहा करते थे, अंग्रेजो का राज था तो वह हमेशा चाहते थे कि उनके जो अफसरान है, उनकी जो आर्मी है, जिसे गोरी पल्टन हम लोग कहा करते थे वह हमेशा साधारण जनता से अलग रहे, साधारण जनता और उनका मेल मिलाप न हो, इसके लिए ये केंटोनमेंट बने थे। लेकिन आज हमारे देश मे ऐसा नही है। आज हमारे जवान बेटे, और हमारे ही भतीजे भान्जे आर्मी मे है, उनका रिश्ता हमारे साथ है। तो मैं नही समझता हूँ कि आज एक हिन्दुस्तानी और हिन्दुस्तानी मे विभाजन होना चाहिए। एक छावनी मे रहे दूसरा उससे अलग रहे। छावनी की जरूरत है उसमे कुछ सेक्योरिटी की भी जरूरत है। लेकिन एक तो जमीन की कमी हिन्दुस्तान म आज है, जमीन के वितरण के बारे मे हम सीमा लगाना चाहते है तो ऐसे मौके पर एक-एक केन्टोनमेंट मे सौ एकड, दो सौ एकड, चार सौ एकड, जमीन पडी हुई है, चाहे आप बबीना मे जाए, चाहे कानपुर चले जायें चाहे और कही चल कर देख ले। एक तरफ लोगो को रहने के लिए जगह नही है और दूसरी तरफ इतनी जगह पडी हुई है। लेकिन जब भी कोई आदमी कहता है कि मैं मकान बनाने के लिए तैयार हू ताकि लोग उसमे रह सके, मुझे उसकी इजाजत दी जाय तो फौरन यह आब्जेक्शन कर दिया जाता है कि हो सकता है कि कभी हमारी आर्मी को जरूरत हो। अगर आर्मी को जरूरत हो तो सरकार के पास कानून मौजूद है, डी०आई०आर० मौजूद है, एमर्जेन्सी आर्डर्स मौजूद हैं, जब भी चाहे डिफेन्स मिनिस्ट्री हो या और कोई मिनिस्ट्री हो, एक्वायर कर सकती है। एक्वीजसन हो सकता है। मेरे मकान को एक्वायर कर सकते है चाहे

[श्री एस० एम० बनर्जी]

वह कैंटोनमेंट मे हो या न हो सरकार को जरूरत है तो एक्वायर किया जा सकता है। तो मैं समझता हूं कि उस जमीन का वितरण भी होना चाहिए। माननीय मंत्री जी ने कुछ फैसले इसके बारे मे लिए हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई कि जब उन्होने पूना मे इसका जिक्र किया कि कम से कम उन्होने सोचने की तरफ कोशिश की है कि कैसे इसका समाधान हो।

बाजारो के बारे मे मुझे खास तौर से कहना है। छावनियो मे बाजार तरह तरह के नाम से हुआ करते थे जैसे पखाना बाजार, लालकुर्ती बाजार, इस तरह से हर जगह ये बाजार है और उस बाजार मे पहले कौन रहा करते थे ? उसमे वह रहा करते थे जो साथ में खानसामा हुआ करते थे या नाई हुआ करते थे या भिश्ती हुआ करते थे। लेकिन आज सब आदमी वहां रहते है। तो मै समझता हूं कि इन नामो को बदलना चाहिए और उसमे कुछ ऐसा होनी चाहिए कि जिन लोगो ने हमारे ऊपर गोलियां चलाई 1857 मे उनके नाम पर सड़के नही होनी चाहिए। कानपुर म हम लोगो न एक फैसला कि है और हम चाहते थे कि दीपक दास जिसने अभी 1971 के पाकिस्तान के साथ युद्ध मे अपनी जान दी उसके नाम से सड़क को पास किया। कैंटोनमेंट बोर्ड ने पास किया, पीपुल्स रेप्रेजेन्टेटिव ने पास किया। लेकिन उस पर भी कहा कि जब तक सेंट्रल गवनमेंट फैसला नही द देगी तब तक यह नही होगा। तो जब हम यहाँ की तमाम स्टेच्यूज को हटाने जा रहे है और उनके बदले मे वे लोग जिन्होने अपनी आहुति दी, जिन्होने देश मे आजादी का झंडा लहराया, उनकी स्टेच्यूज लगाने जा रहे है, तो मैं समझता हू कि उन सड़को का नाम भी बदला जाना चाहिए। मैं आज इस बिल का समर्थन करते हुए श्री जगजीवन राम जी से जो केवल सुरक्षा मंत्री ही नही हैं बल्कि देश के उन नेताओ मे से है जिन्होने काफी संघर्ष किया है आजादी की लड़ाई मे और आजादी लाए हैं, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि वह डिफेंस मिनिस्टर रहते रहते इस काम को कर जाए वरना बाद मे फिर नही होगा। एक कमांडिंग आफिसर जब भी चाहे वहां के रेप्रेजेन्टेटिव्ज को कह सकता है कि आपने फैसला गलत लिया है। मुझे याद है एक दफा वहां के चुने हुए नुमाइंदो ने फैसला लिया था तो उस वक्त के कमांडर थे कर्नल थाम्पसन, जो अब नही है, उनको निकाल दिया गया था नौकरी से कृष्णामेनन साहब के जमाने मे उन्होने उस पर लिखा था :

> "Joint representation by the members of the Cantonment Board-I consider this to be a mutiny."

एलेक्टेड रेप्रेजेन्टेटिव्ज के रेप्रजेन्टेशन के लिए यह उनका कहना था।

तो यह पुराने कानून जो थे, मैं समझता हू कि आज हमारी सेना मे हमारे भाई हैं, हमारे बच्चे है और जब हम हिन्दुस्तान मे पीपुल्स आर्मी के नाम से उसको पुकारने की बात कर रहे है, ऐसे मौके पर वह सडे गले कानून जो अंग्रेजो ने बनाये थे और जो हिन्दुस्तानी को हिन्दुस्तानी से बाँटा जाय, अंग्रेजो को सुविधा दी जाय, अलग रखा जाय इसके लिए बने थे, उनका अन्त होना चाहिए और मैं बाबू जगजीवन राम जी से इसका आश्वासन चाहता हू कि वह इस बात को बताए कि वह सडे गले कानून कंटोनमेंट के दूर होंगे और अगले सेशन मे हो, या दूसरे सेशन मे हो, कम से कम उनके लिये ऐसा कानून लाएंगे जिससे डेमोक्रेटाइजेशन इसका हो सके और एम्प्लाईज को भी सहूलियत मिल सके।

एम्प्लाईज भी आधा तीतर आधा बटेर की तरह से हैं, उनको मालूम नही कि वह हैं क्या ? वह गवर्नमेंट एम्प्लाई भी नहीं हैं, डिफेंस एम्प्लाई भी नही हैं...

अध्यक्ष महोदय . इस बिल का स्कोप रैट

रेम्ड्रिक्शन तक था। वहाँ से बढ़ाकर नाम तक ले आए और फिर अब एम्प्लाईज पर चले गए। कल को कोई देखेगा तो आपको कुछ नहीं कहेगा मुझे कहेगा कि यह भी बैठे हुए थे। तो स्कोप बढ़ाते-बढ़ाते कहां तक ले जाएंगे ?

श्री एस० एम० बैनर्जी : काफी स्कोप मैंने बढ़ा लिया। अब मैं बैठ जाता हूं।

अध्यक्ष महोदय बातें अच्छी करते हैं लेकिन इसमें वह नहीं आती।

श्री आर० वी० बड़े (खरगोन) : अध्यक्ष महोदय, कैन्टोनमैंट (एक्सटेंशन आफ रेन्ट कन्ट्रोल लाज) अमेंडमेंट बिल, 1972 हाउस के सामने विचारार्थ आया है और इस पर इसी वास्ते मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं कि इसमें जो हमारे यहां महु कैन्टोनमैंट है इन्दौर के पास उसका विशेष रूप से उल्लेख है।

इसमें दिया है

"Any law relating to the control of rent and regulation of house accommodation in force in the cantonment of Mhow immediately before the commencement therein of the Madhya Bharat Accommodation Control Act, 195 , shall be, and shall be deemed always to have been, extended to that cantonment under section 3 of this Act with effect from the commencement of such law in that cantonment or from the commencement of this Act, whichever is later,"

अब महु कैन्टोनमेन्ट के बारे में मुझे कुछ कहना है। महु कैन्टोनमेन्ट में अभी भी इन्फैन्ट्री कोर्स चलता है और काफी मिलिट्री भी है। यह जगह इन्दौर के पास है। अंग्रेज इस जगह को स्वर्ग समझते थे, इसको अलग रखते थे, जैसे हम दानव हैं और वे ईश्वर हैं, लेकिन अब स्वतन्त्रता के बाद इसकी क्या जरूरत है। वहां एक महु एरिया है जिसको विलेज एरिया कहते हैं, अब वह सिटी एरिया बन गया है और उसकी एक नगरपालिका भी है ...

SHRI JAGJIVAN RAM : All this is beyond the scope of the Bill.

श्री आर० वी० बड़े : अब जो एक्ट आप लाने जा रहे हैं, मेरा यह कहना है कि यह इतनी देर से क्यों लाया गया।

अध्यक्ष महोदय, अभी मिनिस्टर साहब ने कहा कि यह बियोण्ड दी स्कोप है—मैं आप को बतलाता हूँ कि यह कैसे स्कोप के अन्दर है। महु में एक तो कैन्टोनमेन्ट का ला लागू होता है और दूसरा नगरपालिका का लागू होता है। मेरा कहना यह है कि जहां नगरपालिका का रेन्ट कन्ट्रोल एक्ट लागू होता है, वहां इसका एक्सटेंशन इतनी देर से क्यों किया गया। हाई कोर्ट में केसेज गये, वहां वे फेल हो गये क्योंकि यह एक्ट वहां लागू नहीं था, मध्य प्रदेश का जो 1955 का कानून था, उस को ही एक्सटेंड करते रहे तो इतनी देर से सरकार की नींद क्यों खुली, पहले से इसको क्यों नहीं लाया गया। मेरा तो कहना यह है कि कैन्टोनमेन्ट को ही आप क्यों खत्म नहीं कर डालते। कैन्टोनमेन्ट की कल्पना अंग्रेजों की कल्पना थी, वह साधारण समाज से उसको अलग रखना चाहते थे, आप इसको खत्म कर दें। इस प्रकार के कानून लाने की जरूरत नहीं है।

मैं इस बिल का समर्थन इसलिये करता हूं क्योंकि यह किरायेदारों के फेवर में है। अगर आप इसको पहले ले आते तो हाई-कोर्ट में जितने मुकदमे चले और वकीलों पर जितना पैसा खर्च हुआ, वह बच सकता था। मुकदमों में वकीलों का फायदा होता है। वकील तो चाहते हैं कि मुकदमे चलते रहें, वे तो इसमें भी नुक्स निकालेंगे और हाई कोर्ट में आप का यह कानून भी टिकेगा या नहीं—इसमें मुझे शक है। इसी लिये लोग कहते हैं—

खीसा हो कम, जूता हो तंग
गवाह हो संग, तब आता है रंग मुकदमे में।

[श्री आर० वी० बड़े]

इस समय भी इन्दौर हाई कोर्ट मे बहुत सारे मुकदमे कैन्टोनमेन्ट के पड़े हुए हैं। चूंकि इस कानून मे किरायेदारो का फायदा होगा, इस लिये मे इसको सपोर्ट करता हू।

श्री जगजीवन राम : मैं सदन का ज्यादा समय नही लेना चाहता, चू कि सारे कैन्टोनमेन्टस की नीति का प्रश्न उठा दिया गया है, इस लिये मै इतना कह दू —

> The West Bengal prem ses (Tenancy) Act as or ginally enacted in 1956 or as amended sub equently would fall within sub-clause (3) of Clause 3 So, that is covered

इसके बाद भी कानून-दां लोग, ड्राफ्टिंग वाले यह समझेंगे कि कुछ और सशोधन की जरूरत है तो पीछा किया जा सकता है, लेकिन इस समय तो लोगो की यही राय है कि जिस रूप मे इस बिल को बनाया गया है, उससे सब काम हो जायगा।

जहा तक कैन्टोनमेन्ट्स का प्रश्न उठाया गया है कैन्टोनमेन्टस मे कुछ प्राइवेट लोगो के भी मकान है। जिस जमाने मे ये छावनिया बनी थी, शहरो से ये काफी दूर होती थीं, इस लिए वहा बाजार भी रखना पड़ता था, लोगो को भी रखना पड़ता था। लेकिन अब हर जगह प्राय शहरो का इतना विस्तार हुआ है कि अधिकांश स्थानो पर ये छावनिया शहर मे आ गई हैं और इन छावनियो पर केन्द्र का काफी खर्चा होता है। करीब डेढ करोड रुपया हम अनुदान के रूप मे देते हैं जो हमारा नुक्सान है। छावनियों से जितनी आमदनी होती है, उससे ज्यादा खर्च होता है। इस लिए कानून मे परिवर्तन की जरूरत है।

जब मैंने इस को लिया तो मैंने यह समझा कि कुछ ऐसा इन्तजाम करें कि इन छावनियो मे जो सैनिक क्षेत्र हैं और जो असैनिक क्षेत्र है अगर इन दोनो मे फर्क कर सकें तो यह जो सवाल उठता है कि डेमोक्रेटाइजेशन होना चाहिये, प्रतिनिधियों को अधिकार होना चाहिए, मैं अधिक अधिकार देने के बारे में बराबर सोचा करता हू। जहाँ हमारे रुपये से काम चलाना है तब तक तो ठीक रहता है लेकिन जब कभी टैक्स बढ़ाने का सवाल आता है तो चुने हुए प्रतिनिधियों के सामने एक धर्म-सकट पैदा हो जाता है। इस लिए यह ज्यादा अच्छा होगा जहां जहाँ वे कुछ इलाके को f काल सकते हैं निकाल दे और पूरी तरह से डेमोक्रेटाइजेशन कर के काम करें। तो हम ने एक टीम बैठा दी है, इस काम के लिए सम्भव है कि जिस कानून के बारे मे कहा गया था, उसमे कुछ देर हो जाय क्योंकि मै चाहता हू कि छावनियो के प्रश्न की जहां तक सम्भव हो इस तरह से निबटारा कर दिया जाय ताकि यह बराबरी का झगड़ा मिट सके।

महु छावनी को हमे रखना पड़ेगा लेकिन जैसा मैंने कहा है, अगर बाजार को अलग कर सके तो अलग कर देगे, जिससे कि जो घाटा हम को लगता जा रहा है, वह बच सके।

मैं ज्यादा समय नही लेना चाहता, बहुत सीधा सा बिल है, जिस मे बहस की कोई गुंजाइश नही हैं। सबने इसका स्वागत किया है, इस लिये इसको पास किया जाय।

MR SPEAKER The question is

"That the Bill to amend the Cantonments (Extension of Rent Control Laws) Act 1957, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration"

The motion was adopted

MR SPEAKER : The question is :

"That Clauses 2 to 4, Clause 1, the Enacting Formula and the Title stand part of the Bill".

The motion was adopted

Clauses 2 to 4, Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI JAGJIVAN RAM : I beg to move ;

"That the Bill be passed".

MR. SPEAKER : The question is :

"That the Bill be passed".

The motion was adopted

13.18 hrs.

SECUNDERABAD AND AURANGABAD CANTONMENTS HOUSE RENT CONTROL LAW (REPEAL) BILL

THE MINISTER OF DEFENEC (SHRI AGJIVAN RAM) : I beg to move :

"That the Bill to provide for the repeal of the Secunderabad and Aurangabad Cantonments House Rent Control Law, 1949 as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration "

इसमे भी मान्यवर सवाल ऐसा ही है कि जब हैदराबाद भारत मे शामिल हुआ और वहा पर सैनिक शासन था तो औरंगाबाद उस वक्त हैदराबाद मे ही था, उस समय किरायेदारो और मालिको के सम्बन्धों पर नियंत्रण करने के लिए एक कानून सैनिक शासन ने बनाया था। उसके बाद औरंगाबाद महाराष्ट्र मे मिल गया और हैदराबाद-सिकन्द्राबाद आन्ध्र प्रदेश कायम होने पर उसमे गया। वहा भी उन्होने कानून बनाया और उसको लागू कर दिया गया। इस लिए यह अच्छा समझा गया कि इस कानून को खत्म कर दिया जाय, जिसमें कि वही कानून वहा पर लागू रहे। और औरंगाबाद मे दूसरे कानून को जो वहां पर लागू था रखी जाय। रिपील करने के बाद भी इसमे प्रबन्ध कर लिया गया है कि जो कार्यवाहिया इस के मातहत की गई है, दुरुस्त समझा जाय जिससे इसके काम में कोई गड़बड़ी पैदा न हो प्रबन्ध इस दृष्टि से किया गया है।

मैं समझता हूँ कि यह बिल भी किरायेदारो के हक मे है, इस लिये इस को पास किया जाय।

MR. SPEAKER : Motion moved :

"That the Bill to provide for the repeal of the Secunderabad and Aurangabad Cantonments House Rent Control Law, 1949, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration".

SHRI SOMNATH CHATTERJEE (Burdwan) This is also an innocuous Bill. I would only like to submit that by applying the provisions of the Bill which we have just Passed, the object of the present Bill could have been achieved and the present Bill could have been avoided, because the intention of both the Bills is the same If the intention is to apply the local rent control law in the Cantonments at Secunderabad and Aurangabad, that could have been achieved by the application of the Bill which we have just passed or by issuing a notification under that Bill and by allowing *simpliciter* the old law to lapse. I do not know why this has not been done So far as the old law is concerned which is sought to be repealed, we have no information as to how this law was against the interests of the tenants and other weaker sections. So far as this Bill is concerned, we support this Bill and we submit only this that the notification that is intended to be issued should be issued at the earliest so that there may not be any time lag

SHRI JAGJIVAN RAM . I assure that the notification will be issued very soon and there will be no time lag

MR SPEAKER . The question is

"That the Bill to provide for the repeal of the Secunderabad and Aurangabad Cantonments House Rent Control Law, 1949, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. SPEAKER : I shall now put the clauses.